न्यूज़ टुडे

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग के लिए एक नया रोडमैप जारी किया

ऑस्ट्रेलिया का यह महत्वाकांक्षी रोडमैप भारत के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक गहरा करने तथा उन्हें विविध बनाने पर केंद्रित है। इस रोडमैप में **"विकास के चार अहम मार्गों"** की पहचान की गई है - **स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा व कौशल, कृषि व्यवसाय तथा पर्यटन।**

आर्थिक सहयोग के लिए जारी रोडमैप के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **विशेष अवसरों की पहचान:** इस रोडमैप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा उद्योग, खेल, संस्कृति, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में **लगभग 50 विशेष अवसरों को चिन्हित** किया गया है।
- **'ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार और निवेश प्रोत्साहन निधि':** इससे ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को भारत में नए वाणिज्यिक अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **ऑस्ट्रेलिया-इंडिया बिजनेस एक्सचेंज (AIBX):** यह दोनों देशों के बीच व्यापारिक यानी बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) भागीदारी में तेजी लाएगा।
- **ऑस्ट्रेलिया-भारत CEO फोरम का नवीनीकरण:** इसका प्रमुख उद्देश्य वाणिज्यिक सहयोग को गति देने के लिए एक प्रभावी बिजनेस-टू-बिजनेस मंच प्रदान करना है।
- **मैत्री अनुदान कार्यक्रम:** आस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच जन संपर्क, व्यवसायों के बीच आपसी संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मैत्री अनुदान कार्यक्रम में निवेश बढ़ाने की घोषणा की है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विकसित होते संबंध

- **व्यापार: आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) 2021** ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया है। इस समझौते का उद्देश्य **2035 तक भारत को ऑस्ट्रेलिया के तीन अग्रणी निर्यात बाजारों में शामिल करना है।**
- **परमाणु सहयोग:** 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने **असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर** किए।
- **रणनीतिक साझेदारी:** ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी **नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी (NDS) 2024** में भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **"शीर्ष स्तरीय सुरक्षा साझेदार"** के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- **रक्षा सहयोग:** म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट तथा रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  - दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं- **ऑस्ट्राहिंद (AUSTRAHIND), ऑसिन्डेक्स (AUSINDEX) और पिच ब्लैक।**

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप कृषि खाद्य प्रणालियों को ढालने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की

संयुक्त राष्ट्र **जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 16वें सम्मेलन** का नया सत्र **(CBD COP 16.2) रोम** में आयोजित किया गया। यह सत्र वास्तव में कोलंबिया के **कैली** में आयोजित CBD COP-16 की प्रगति को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था।

- गौरतलब है कि **कैली** में ही **FAO** ने कोलंबियाई सरकार और जैव-विविधता अभिसमय (CBD) के सहयोग से **"कृषि-राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं (Agri-NBSAPs)"** पहल की शुरुआत की थी।

एग्री-NBSAPs के बारे में

- एग्री-NBSAPs का उद्देश्य सरकारों को **कृषि-खाद्य प्रणाली (Agrifood Systems: AFS)** को **राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (NBSAPs)** में शामिल करने तथा उन्हें लागू करने में सहायता प्रदान करना है।
  - गौरतलब है कि NBSAP जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करती है और जैव संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देती है।
    - अलग-अलग देश अपनी NBSAP को **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF)** के तहत तैयार करते हैं। KM-GBF का लक्ष्य **2030 तक जैव विविधता क्षरण को रोकना और पुनर्बहाली सुनिश्चित करना** है।
- यह एक **समन्वित तंत्र** प्रदान करती है, जो सरकारों को क्षमता निर्माण करने, कृषि-खाद्य प्रणाली में रणनीतिक प्रयासों की पहचान करने और उन्हें लागू करने में सहायता करता है। इससे NBSAP के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है।

NBSAP में कृषि-खाद्य प्रणाली को क्यों एकीकृत किया जाना चाहिए?

- **KM-GBF लक्ष्यों को हासिल करने के लिए: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क** के 23 टार्गेट्स में से आधे से अधिक कृषि से संबंधित हैं।
  - KM-GBF का लक्ष्य **2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना और जैव-विविधता को पुनर्बहाल करना** है।
- **उत्सर्जन में कटौती: कृषि-खाद्य प्रणाली** वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में **लगभग एक-तिहाई का योगदान** करती है। इस तरह यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है और वन्यजीवों के पर्यावासों को नष्ट कर जैव विविधता हानि का कारण बनती है।
- **खाद्य सुरक्षा बनाए रखना:** जैव विविधता **परागण (Pollination), मृदा की उर्वरता और कीट नियंत्रण** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जैव विविधता के संरक्षण के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों में आवश्यक महत्वपूर्ण सुधार

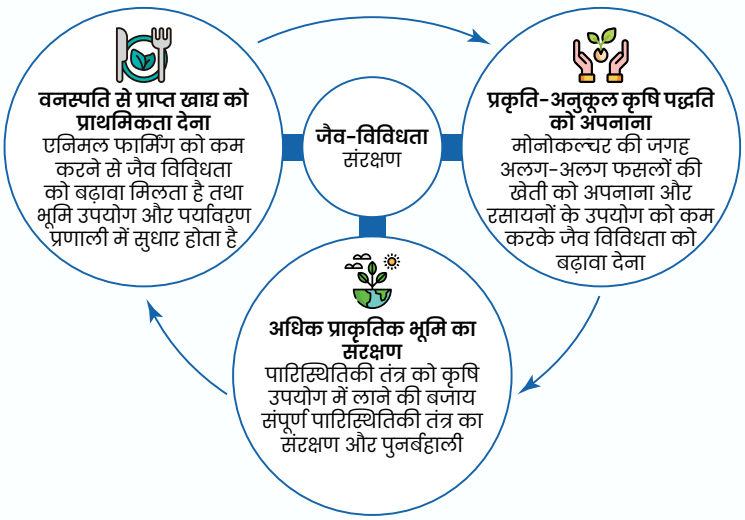

जैव विविधता की हानि से **3 अरब लोगों** को खतरा है, क्योंकि **75% खाद्य फसलें परागणकों (Pollinators) पर निर्भर** हैं।

भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि अफ्रीका के प्रति भारत का नजरिया अफ्रीकी विकास पर केंद्रित है

हाल ही में, 'जापान-भारत-अफ्रीका बिजनेस फोरम' को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने **क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से अफ्रीका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता** को रेखांकित किया। यह एप्रोच **चीन के 'शोषण-आधारित मॉडल' से बिल्कुल अलग** है।

- उन्होंने कहा कि **भारत पारस्परिक विकास को बढ़ावा** देता है, जबकि **चीन अफ्रीका में रणनीतिक खनिज भंडार पर नियंत्रण** प्राप्त करने में रुचि रखता है।
- गौरतलब है कि चीन की नीति **देशों को विकास सहायता के नाम पर ऋण-जाल में फंसाने** की रही है, जबकि **भारत शुल्क मुक्त व्यापार** को प्राथमिकता देता है।

भारत-अफ्रीका संबंधों का बदलता स्वरूप

- **आर्थिक क्षेत्रक में बढ़ती भागीदारी:** भारत **अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** देश है। दोनों पक्षों के बीच **द्विपक्षीय व्यापार मूल्य लगभग 100 बिलियन डॉलर का** है।
- **अफ्रीका में सतत विकास को बढ़ावा:** भारत ने अफ्रीका को **12 बिलियन डॉलर की रियायती वित्तीय सहायता** प्रदान की है। इससे अफ्रीका में रेलवे, ऊर्जा, कृषि जैसे क्षेत्रकों की **200 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं** को वित्तपोषण प्राप्त हो रहा है।
  - अफ्रीका में **भारत द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें हैं; भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम और पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क, ई-विद्या भारती, ई-आरोग्य भारती** आदि।
- **अफ्रीका महाद्वीप का वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ाना:** भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान **अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्यता प्रदान करने** में मुख्य भूमिका निभाई थी।
  - **भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन** और **भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम (FIPIC)** जैसे प्लेटफॉर्म्स आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
- **भारत-जापान-अफ्रीका सहयोग: जापान के निवेश, भारत की तकनीक और अफ्रीका की प्रतिभा** के एकीकरण से साझा विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
  - **2017 में लॉन्च** किया गया **"एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)"** लोकतांत्रिक, सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाता है।

अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है?

- एशिया के विकास के बाद, आगामी दशकों को **'अफ्रीकी युग'** माना जा रहा है।
- **भारत-अफ्रीका सहयोग वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाएगा। (इन्फोग्राफिक देखें)।

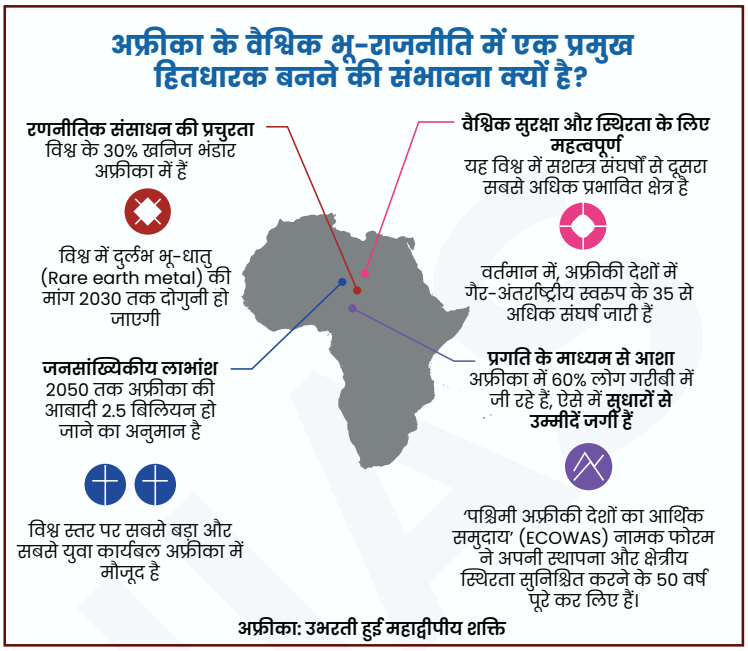

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में प्रॉक्सी भागीदारी को समाप्त करने के तरीके सुझाए

समिति ने **"पंचायती राज प्रणाली और संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं का रूपांतरण: प्रॉक्सी भागीदारी को समाप्त करना"** शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है।

- गौरतलब है कि **मंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन बनाम भारत सरकार (2023)** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में प्रॉक्सी भागीदारी की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया था।

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिला आरक्षण

- **संवैधानिक प्रावधान:** 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के तहत त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई और पंचायती राज संस्थाओं में **महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित** किया गया।
  - अभी तक **21 राज्यों ने आरक्षण की इस सीमा को 33% से बढ़ाकर 50%** कर दिया है। बिहार **पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने** वाला पहला राज्य था।
- **वर्तमान प्रतिनिधित्व:** PRIs में निर्वाचित प्रतिनिधियों में **46.6% महिलाएं** हैं।
- **प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का मुद्दा:** कई निर्वाचित **महिलाएं केवल प्रतीकात्मक रूप से काम करती हैं, जबकि पुरुष रिश्तेदार (जैसे- सरपंच पति)** असल नियंत्रण रखते हैं।
  - यह प्रथा महिलाओं की नेतृत्व क्षमता पर संदेह पैदा करती है और आरक्षण के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है।

समिति द्वारा प्रस्तावित प्रमुख सुधार

- **कठोर दंड:** यदि पुरुष रिश्तेदार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। हालांकि, सजा की सटीक रूपरेखा अभी तय नहीं हुई है।
- **मजबूत नीतियां:** इसके तहत केरल की तरह जेंडर-स्पेसिफिक रिजर्वेशन, **सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह** और **महिला पंचायत संघ** जैसे प्रयास किये जाने चाहिए।

PRIs में महिलाओं की भागीदारी का महत्व

महिलाओं के मुद्दों पर बेहतर प्रतिक्रिया
- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के 2003 के एक अध्ययन में यह पाया गया कि आरक्षित पंचायतों में महिला प्रतिनिधि, पुरुषों की तुलना में महिलाओं से संबंधित शिकायतों या अनुरोधों का समाधान दोगुना अधिक करती हैं।
- राजनीतिक विकेंद्रीकरण से **मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार** होता है, जिससे **संस्थागत और सुरक्षित प्रसव** में वृद्धि होती है।

समुदाय विकास
- महिला नेतृत्व वाली पंचायतें **जरूरी बुनियादी ढांचे** में अधिक निवेश करती हैं: जल, स्वच्छता, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सिंचाई।
- **NCAER (2010)** द्वारा किए गए एक शोध में यह पुष्टि हुई है कि महिला नेतृत्व का **समुदाय के विकास पर सकारात्मक प्रभाव** पड़ता है।

बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु आगे की राह
- जमीनी स्तर पर मजबूत नेतृत्व महिलाओं के लिए उच्चतर राजनीतिक पदों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है।
- यह **लोक सभा और राज्य विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व** के लिए मार्ग तैयार करता है।

- **तकनीकी समाधान:** महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को **वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन प्रशिक्षण और रियल टाइम में स्थानीय भाषाओं में कानूनी मार्गदर्शन** प्रदान करने के लिए AI-ड्रिवेन प्रश्नोत्तरी का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **जवाबदेही तंत्र: हेल्पलाइन, निगरानी समितियां** तथा प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की सूचना देने वाले को पुरस्कार देने जैसे उपाय किए जाने चाहिए।
  - नागरिकों को **"पंचायत निर्णय पोर्टल"** के माध्यम से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों या प्रधानों की बैठकों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को ट्रैक करने की सुविधा दी जानी चाहिए।

परिसीमन के चलते दक्षिणी राज्यों की लोक सभा सीटें कम नहीं होंगी: केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि परिसीमन के परिणामस्वरूप लोक सभा सीटों में होने वाली किसी भी वृद्धि में **दक्षिणी राज्यों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा**। साथ ही, उन्होंने कहा कि आनुपातिक आधार पर दक्षिणी राज्यों की **एक भी लोक सभा सीट कम नहीं** की जाएगी।

परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताएं

- **जनसंख्या नियंत्रण:** जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से लोक सभा में दक्षिणी राज्यों की सीटों की संख्या कम हो सकती है, जो उनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रभावी प्रयासों के लिए एक दंड जैसा हो सकता है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असंतुलन:** जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से संसद में दक्षिणी राज्यों का प्रभाव और उनका राजनीतिक महत्त्व कम हो सकता है।
- **संघवाद और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर असर:** प्रतिनिधित्व में बड़े बदलाव से संघीय व्यवस्था कमजोर हो सकती है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय नीतियां मुख्य रूप से उत्तरी राज्यों के हितों के अनुसार बनाई जा सकती हैं।

परिसीमन के बारे में

- यह लोक सभा और विधान सभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की **संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने** की प्रक्रिया है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 82 और 170** में प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों) में पुनः समायोजित करने का प्रावधान किया गया है। इसे ऐसे प्राधिकार और ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।
  - **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332** में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पुनर्निर्धारित करने का प्रावधान है।
  - **84वां संविधान संशोधन, 2001:** इसके द्वारा 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक सीटों में वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी।
- **परिसीमन आयोग:** अब तक परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, 1962, 1972 और 2002 के तहत **कुल चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।**
- **परिसीमन आयोग के आदेश:**
  - **आयोग के आदेश कानून के समान होते हैं** और उन्हें किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  - **परिसीमन संबंधी निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक तय तिथि से प्रभावी होते हैं।**

CII के एक अध्ययन में भारतीय विनिर्माण में गुणवत्तापूर्ण बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया गया

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने **'रेजिंग द स्टैंडर्ड: क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में **नियमों का पालन करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए** विनिर्माण कार्यों में निरंतर सुधार करने और सक्रिय होकर गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **अधिकांश कंपनियों (लगभग 77%)** ने पिछले दशक में **गुणवत्ता सुधार** पर बेहतर काम किया है।
- **गुणवत्ता पर बल देते हुए इसे बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण:**
  - नियमों का पालन,
  - ब्रांड का नाम रोशन करना और ग्राहकों का विश्वास जीतना,
  - प्रतिस्पर्धी दबाव, और
  - तकनीकी प्रगति।
- **राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों में अंतर:** कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से **तकनीकी एवं पूंजीगत वस्तुओं में विशिष्ट राष्ट्रीय मानकों की कमी** है। यह विनिर्माण क्षेत्रक में नियामक ढांचे की अस्पष्टता और असंगति को दर्शाता है।

भारतीय विनिर्माण में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रणनीतिक सिफारिशें

- **नीतिगत एजेंडा:**
  - **गुणवत्ता-केंद्रित कौशल और प्रमाणन कार्यक्रम:** श्रमिकों को **सूक्ष्म समझ, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का प्रशिक्षण** दिया जाना आवश्यक है।
  - **'क्वालिटी एज ए सर्विस (QaaS)' साझेदारी:** साझा गुणवत्ता अवसंरचना और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए 'क्वालिटी एज ए सर्विस' मॉडल पर आधारित एक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** पहल शुरू की जानी चाहिए।
- **उद्योग एजेंडा:**
  - **नेतृत्व और प्रबंधन के लिए सतत गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण:** वरिष्ठ और मध्यम स्तर के प्रबंधन कर्मियों को निरंतर गुणवत्ता सुधार (CQI) और एडवांस गुणवत्ता मेट्रिक्स आदि में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
  - **डिजिटल आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली:** यह प्रणाली रियल टाइम में डेटा और इनसाइट्स प्रदान करती है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं के प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी संभव होती है। इससे गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का जल्दी पता लगाया जा सकता है और उन्हें तुरंत ठीक किया जा सकता है।

भारत में गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलें

- **मानकीकरण और नियमों का पालन:** BIS, FSSAI, DCGI ने उद्योग-विशिष्ट मानक तय किए हैं। इससे उत्पादों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए- **प्रमाणित गुणवत्ता के लिए ISI मार्क।**
- **MSME सस्टेनेबल (ZED) सर्टिफिकेशन:** यह MSMEs को ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट (ZED) के प्रति जागरूक बनाने और उनके अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक पहल है।
- **मेक इन इंडिया और PLI योजनाएं:** इनके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में गुणवत्ता आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अन्य सुर्ख़ियां

तांत्रिक बौद्ध धर्म और अवशेष

ओडिशा के रत्नागिरी में 1,500 वर्ष से अधिक पुरानी 1.4 **मीटर लंबी बुद्ध प्रतिमा का सिर** और कुछ स्तूप मिले हैं। ये सभी साक्ष्य इस जगह को प्राचीन **तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र** साबित करते हैं।

- **बौद्ध धर्म के तीन मुख्य संप्रदाय हैं:**
  - **थेरवाद** (रूढ़िवादी बौद्ध धर्म),
  - **महायान** (ज़ेन और प्योर लैंड), और
  - **वज्रयान** (तिब्बती बौद्ध धर्म)।

तांत्रिक बौद्ध धर्म का विकास:

- तांत्रिक बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए बौद्ध दर्शन को सिर्फ सिद्धांत तक सीमित रखने के बजाय साधना (प्रयोगात्मक विधियों) पर बल देता है।
- **सबसे पहले महायान बौद्ध धर्म में मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों** की शुरुआत हुई। आगे चलकर इसकी दो शाखाएं विकसित हुईं:
  - **मंत्रयान (आरंभिक तांत्रिक बौद्ध धर्म) और**
  - **पारमिता-यान।**
  - मंत्रयान **को तांत्रिक बौद्ध धर्म का 'आरंभिक' चरण** माना जाता है। आगे **जब इसमें योगिक क्रियाएं जुड़ गईं,** तो यह पूर्ण विकसित तांत्रिक **बौद्ध धर्म** बन गया।

भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (BNP)

तापमान में वृद्धि के कारण प्रवासी पक्षी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (BNP) छोड़ रहे हैं।

भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (BNP) के बारे में

- **पारिस्थितिक तंत्र:** यह **सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव** पारिस्थितिकी तंत्र है।
  - यह **ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा और पातासला** नदियों से आने वाले जल से निर्मित **क्रीक और जलधाराओं** से बना है।
- **जीव:** यहाँ भारत में **खारे जल में पाए जाने वाले एंडेंजर्ड मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी** पाई जाती है।
  - **ऑलिव रिडले** कछुए गहीरमाथा और आस-पास के अन्य समुद्री तटों पर अंडे देते हैं।
  - अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों में **प्रवासी पक्षी, 8 प्रकार के किंगफिशर, हिरण, लकड़बग्घा, जंगली सूअर** आदि शामिल हैं।
- **विशिष्ट परिघटना:** बागागहना या सूरजपुर क्रीक के पास पक्षियों का पर्यावास है, जहां हजारों पक्षी खाड़ी में आते हैं और प्रजनन करते हैं।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

AWBI दो प्रमुख श्रेणियों यानी 'प्राणी मित्र' और 'जीव दया पुरस्कार' में "चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन" पुरस्कार प्रदान करेगा।

- यह पहल **पशु कल्याण और सुरक्षा** में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के बारे में

- AWBI को 1962 में **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCAA), 1960** के तहत एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह पशु कल्याण कानूनों पर सलाह देता है और पशु कल्याण को बढ़ावा देता है।
- इसकी शुरुआत प्रसिद्ध मानवतावादी रुक्मिणी देवी **अरुंडेल के नेतृत्व** में हुई थी।
- इसमें **6 संसद सदस्यों** (राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 4) सहित **28 सदस्य होते** हैं।

मंगल ग्रह का रंग लाल

नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने **मंगल ग्रह के लाल** रंग के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती दी है।

मंगल ग्रह (लाल ग्रह) के लाल रंग के बारे में नए अध्ययन के निष्कर्ष

- पूर्व के अध्ययनों में मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण **एनहायड्रस हेमेटाइट** को बताया गया था। यह **अपक्षय संबंधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप** निर्मित हुआ था।
- नए अध्ययन से पता चला है कि **निम्नस्तर का क्रिस्टलीय फेरिहाइड्राइट (Fe5O8H • nH2O)** मंगल ग्रह की धूल में मौजूद मुख्य लौह ऑक्साइड है।
  - यह **ऑक्सीडेटिव दशाओं के तहत मंगल पर शुरुआत में एक ठंडी, नाम अवधि के दौरान बना था**। इससे पता चलता है कि शुष्क रेगिस्तान बनने से पहले मंगल पर जल मौजूद था।

करनाल का युद्ध

करनाल का युद्ध 24 फरवरी, 1739 को हुआ था। **इस युद्ध के परिणाम ने भारतीय** उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया।

करनाल युद्ध के बारे में

- यह युद्ध **पर्शिया के शासक नादिर शाह** और मुगल बादशाह **मुहम्मद** शाह के बीच लड़ा गया था।
- **परिणाम:** इस युद्ध में **मुगल सेना पराजित** हुई। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह को नादिर शाह ने बंदी बना लिया। इससे मुगल साम्राज्य की सत्ता और प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा।
  - युद्ध के पश्चात् **नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली को लूटा** और **मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ फारस ले गया।**
- **महत्त्व:** इस युद्ध ने भारत में **बाहरी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव और पतनशील मुगल साम्राज्य की कमजोरियों** को उजागर किया।
  - इस युद्ध ने भविष्य में **भारत पर होने वाले आक्रमणों और विदेशी शासकों द्वारा** हस्तक्षेपों के लिए आधार तैयार किया।

कैस्पियन सागर

पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने कैस्पियन सागर में तेजी से घटते जल स्तर पर चिंता जताई है।

- 2005 के बाद से अब तक इसका लगभग 31,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल कम हो चुका है।

कैस्पियन सागर के बारे में

- यह विश्व का **सबसे बड़ा स्थलरुद्ध जल निकाय** है।
- **इस समुद्र की सीमा पांच देशों यानी** कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से लगती है।
  - कैस्पियन सागर के साथ **सबसे लम्बी तटरेखा कजाकिस्तान की लगती है।**
- ऐसा अनुमान है कि कैस्पियन सागर में लगभग **48 अरब बैरल का तेल भंडार** है।
- **जल स्तर में गिरावट के कारण:** इसमें जलवायु संकट, कृषि के लिए अत्यधिक जल उपयोग तथा परमाणु अपशिष्ट, उद्योग और खराब शहरी नियोजन से होने वाला प्रदूषण आदि शामिल हैं।

WHO FCTC

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अपनी पहली वैश्विक संधि **"WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC)"** के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है।

WHO FCTC के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे 2003 में अपनाया गया था और **2005** में लागू किया गया था।
- **उद्देश्य: तम्बाकू नियंत्रण के लिए** एक **कानूनी ढांचा प्रदान** करना। इसमें **बड़ी चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां, धूम्रपान-मुक्त कानून और उच्च कर** शामिल हैं।
- **भारत की भूमिका:** भारत ने **2004 में इस संधि की पुष्टि** की थी। भारत दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का **क्षेत्रीय समन्वयक** रहा है।
- **प्रभाव: 5.6 बिलियन लोग** कम-से-कम एक तंबाकू नियंत्रण नीति के अधीन आते हैं। इससे **वैश्विक धूम्रपान दर में गिरावट** आई है।

जनरल एंटी अवॉयडेंस रुल्स या सामान्य परिवर्जनरोधी नियम

आयकर विभाग के अधिकारी **प्रस्तावित आयकर विधेयक, 2025 के अंतर्गत जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स** के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी कर सकते हैं।

जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स (GAAR) के बारे में

- यह **कर की चोरी और कर अपवंचन को रोकने** के लिए एक **एंटी-टैक्स अवॉयडेंस कानून** है।
- यह **एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग को नियंत्रित करने के लिए एक उपाय है।** यह विशेष रूप से कर देने से बचने के उद्देश्य से किए जाने वाले लेन-देन या व्यावसायिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है।
- वर्तमान में, इसे **01 अप्रैल, 2017 से आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्थापित** किया गया है।
- GAAR की समीक्षा **पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी।**

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

वीर नारायण सिंह (1795-1858)

1857 के विद्रोह के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह को उनकी पुण्यतिथि (25 फरवरी) पर देशवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

वीर नारायण सिंह के बारे में

- वे **छत्तीसगढ़ के सोनाखान** के जमींदार थे।
- उनके पूर्वज **गोंड जनजाति** से संबंधित थे और सारंगढ़ में रहते थे। बाद में, उनके पूर्वजों ने गोंड से **बिझवार जनजाति** में जाति परिवर्तन किया और रायपुर जिले में बस गए।

प्रमुख योगदान

- **1856 के भयंकर अकाल** के दौरान, उन्होंने **अन्न भंडार** से अनाज निकालकर गरीबों में बांटा, ताकि वे भुखमरी से बच सकें।
- 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें **एक व्यापारी के अनाज भंडार को लूटने के आरोप में** गिरफ्तार कर लिया।
- **1857 के विद्रोह** के दौरान, वे जेल से भाग निकले और **सोनाखान में 500 सैनिकों की एक आर्मी बनाई।**
- उन्होंने छत्तीसगढ़ में **1857 के विद्रोह का नेतृत्व** किया। इसलिए, उन्हें **"प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी"** माना जाता है।

नैतिक मूल्य: देशभक्ति, नेतृत्व, साहस, सहानुभूति, आदि।